"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई 2010—श्रावण 7, शक 1932

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-41/2008/वाक. (पं.)/पांच (57).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा "नया रायपुर परियोजना" की प्रथम आवासीय कालोनी के लिए ग्राम-राखी, झांझ एवं नवागांव में, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा "छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल" के पक्ष में निष्पादित, भूमि के पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 10-41/2008/वाक. (पं.)/पांच (57).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-41/2008/वाक. (पं.)/पांच (57), दिनांक 29-07-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 29th July 2010

NOTIFICATION

No. F 10-41/2008/CT/(R)/V (57).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby remits the stamp duty chargeable on instruments of lease of land in village-Rakhi, Jhanjh and Navagaon, executed by Naya Raipur Development Authority, in favour of Chhattisgarh Housing Board for the first residential colony of "Naya Raipur Pariyojana".

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-41/2008/वाक. (पं.)/पांच (58).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-10-41/2008/वाक (पं.)/पांच/(42), दिनांक 15-07-2008 को अधिक्रमित करते हुये, नया रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की प्रथम आवासीय कालोनी के लिए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा हितग्राहियों के पक्ष में निष्पादित भूमि/भवन/प्रकोष्ठ के पट्टा/विक्रय विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है,

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 10-41/2008/वाक. (पं.)/पांच (58).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-41/2008/वाक. (पं.)/पांच (58), दिनांक 29-07-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 29th July 2010

NOTIFICATION

No. F 10-41/2008/CT (R)/V (58).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), in supersession of this Department's Notification No. F-10-41/2008/CT (R)/V/42, dated 15-07-2008, the State Government hereby remits the stamp duty chargeable on instruments of lease/sale of land/building/apartment, executed by Chhattisgarh Housing Board in favour of beneficiaries of the first residential colony of the Chhattisgarh Housing Board in "Naya Raipur".

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.